बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं0–06/प्रदू–35/2018 पटना/दिनांक–

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने अपने पत्रांक–1735 दिनांक–18.04.2019 द्वारा सूचित किया है कि श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक द्वारा उन्हें प्रतिवेदित किया गया है कि प्रदूषण जाँच केन्द्र, अनुज्ञप्ति सं0–477/2018 को ऑनलाईन कराने हेतु निरीक्षण के क्रम में उक्त केन्द्र के संचालक, तकनीशियन एवं हरिवील कम्पनी के इंजीनियर द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा केन्द्र को ऑनलाईन करने का विरोध किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रतिवेदन है कि मोटरयान निरीक्षक के प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वर्णित प्रदूषण जाँच केन्द्र द्वारा अन्यथा मंशा से विभागीय आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं विभागीय पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन्होने उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की है।

श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय निदेश के आलोक में उन्होंने आवंटित प्रदूषण जाँच केन्द्र, अनुज्ञप्ति सं0–477/2018 का निरीक्षण दिनांक–18.04.2019 को किया एवं संचालक को PUC केन्द्र को Online करने के लिए कहा। इसपर केन्द्र के संचालक, तकनीशियन (Unnotified) एवं हरिविल कम्पनी के इंजीनियर श्री विजय कुमार द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया एवं Online करने का विरोध किया गया। उन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया है कि वहाँ पर उपस्थित एक वाहन स्वामी द्वारा यह बताया गया वाहन की बगैर जाँच किये उन्हें प्रदूषण प्रमाण–पत्र हस्तगत कराया गया। इस बावत पूछे जाने पर केन्द्र के कर्मचारी द्वारा गलती स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की गई। वर्णित तथ्यों के आलोक में मोटरयान निरीक्षक, पटना द्वारा प्रदूषण जाँच केन्द्र की अनुज्ञप्ति संख्या–477/2018 को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–2816, दिनांक–23.04.2016 द्वारा श्री किशन कुमार, पिता–श्री अजीत कुमार सिंह, ऑटो केयर, बेली रोड, अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति सं0–477/2018 से निदेशित ऑनलाईन व्यवस्था को चालू करने में व्यवधान तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर पुनः विभागीय पत्रांक–3021, दिनांक–30.04.2019 द्वारा 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु स्मारित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारक ने दिनांक–30.04.2019 को समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि दिनांक–15.04.2019 को प्रदूषण जाँच केन्द्रों द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था में आनेवाली कठिनाईयों का जिक्र करते हुए त्वरित निष्पादन का अनुरोध किया गया था, किन्तु इस दिशा में दिनांक–27.04.2019 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी उल्लेख किया गया है कि संचालको द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि वैध एवं सुयोग्य मोटरयान निरीक्षक को ही ऑनलाईन करने हेतु प्रदूषण जाँच केन्द्रों पर भेजा जाय। इसके विपरीत श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, अनाधिकृत मोटरयान निरीक्षक केन्द्र पर सादे कपड़े में आए एवं उनके साथ दुर्व्यवहार किया एवं रिश्वत की माँग की, जिसके लिए उनके द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध रूपसपुर थाना में सनहा दर्ज कराया गया है। उन्होंने यह भी अंकित किया है कि भारत सरकार के निदेशानुसार दिनांक–01.04.2009 से ही ऑनलाईन व्यवस्था लागू किया जाना था जबकि राज्य सरकार द्वारा यह कार्य दिनांक–10.04.2019 से प्रारम्भ किया गया है।

संचालक से प्राप्त स्पष्टीकरण पर श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक से मंतव्य की मांग की गई। श्री सिंह के द्वारा समर्पित मंतव्य/स्पष्टीकरण में संचालक द्वारा उनके विरूद्ध लगाए गए आरोप को निराधार बताया गया है। उन्होंने अंकित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–18.04.2019 को प्रश्नगत प्रदूषण जाँच केन्द्र का निरीक्षण दो वर्दीधारी आर्म्ड कांस्टेबल, श्री धर्मवीर कुमार (सिपाही सं0–120190) एवं श्री उमेंश सिंह, सिपाही सं0–11513 के साथ की गयी। निरीक्षण के क्रम में संचालक द्वारा बिना वाहन की जाँच किए फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र निर्गत करने का तथ्य वहाँ उपस्थित वाहन स्वामी के माध्यम से संज्ञान में आया। फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर संचालक द्वारा उनके विरूद्ध मिथ्या आरोप लगाया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्रों को ऑनलाईन किये जाने के क्रम में प्रथमतः पटना शहर में संचालित वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्रों को ऑनलाईन करने की कार्रवाई हेतु राज्य परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक–12.04.2018 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्रों के अनुज्ञप्तिधारी एवं अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना, मोटरयान निरीक्षक, पटना सम्मिलित हुए। इस बैठक में वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्रों के अनुज्ञप्तिधारियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे प्रदूषण केन्द्रों को ऑनलाईन किये जाने की कार्रवाई करेंगे। उपस्थित सभी जाँच केन्द्रों के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस कार्य में सहयोग देने की बात की स्वीकार की गई। पटना जिले के मोटरयान निरीक्षकों एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षकों को प्रदूषण जाँच केन्द्रों का भ्रमण कर उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराने का निदेश भी दिया गया।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक–2574, दिनांक–10.04.2019 द्वारा श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, पटना को अनुज्ञप्ति सं0–477/2018 के धारक वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र को ऑनलाईन किये जाने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना का प्रतिवेदन, मोटरयान निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं केन्द्र संचालक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र के संचालक में नियमितता बरती गयी है। वाहन की जाँच किए बगैर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना मोटरयान अधिनियम एवं बिहार मोटरगाड़ी नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है। बिहार मोटरगाड़ी नियमावली–1992 के नियम 163 (घ) (8) ग में उल्लेखित वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्रों को मोटरयान निरीक्षक या परिवहन विभाग के अभ्यतर पंक्ति के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए खुला रखने एवं केन्द्र द्वारा संधारित सभी उपकरण एवं अभिलेख निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने का प्रावधान है। संचालन द्वारा मोटरयान निरीक्षक को "अनाधिकृत" कहा जाना अशोभनीय है। साथ ही उन्हें निरीक्षण में सहयोग नहीं करना सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाना है।

अतः ऊपर वर्णित नियमों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 के नियम 163 (च) 1 का (ग) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र अनुज्ञप्ति संख्या–477/2018 की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 3380 पटना, दिनांक :– 10/5/19

प्रतिलिपि :– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

9/5/19
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं0–06 / प्रदू–35 / 2018

पटना / दिनांक–

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने अपने पत्रांक–1735 दिनांक–18.04.2019 द्वारा सूचित किया है कि श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक द्वारा उन्हें प्रतिवेदित किया गया है कि प्रदूषण जाँच केन्द्र, अनुज्ञप्ति सं0–477 / 2018 को ऑनलाईन कराने हेतु निरीक्षण के क्रम में उक्त केन्द्र के संचालक, तकनीशियन एवं हरिवील कम्पनी के इंजीनियर द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा केन्द्र को ऑनलाईन करने का विरोध किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी का प्रतिवेदन है कि मोटरयान निरीक्षक के प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वर्णित प्रदूषण जाँच केन्द्र द्वारा अन्यथा मंशा से विभागीय आदेश की अवहेलना की जा रही है एवं विभागीय पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन्होने उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की है।

श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय निदेश के आलोक में उन्होंने आवंटित प्रदूषण जाँच केन्द्र, अनुज्ञप्ति सं0–477 / 2018 का निरीक्षण दिनांक–18.04.2019 को किया एवं संचालक को PUC केन्द्र को Online करने के लिए कहा। इसपर केन्द्र के संचालक, तकनीशियन (Unnotified) एवं हरिविल कम्पनी के इंजीनियर श्री विजय कुमार द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया एवं Online करने का विरोध किया गया। उन्होंने यह भी प्रतिवेदित किया है कि वहाँ पर उपस्थित एक वाहन स्वामी द्वारा यह बताया गया वाहन की बगैर जाँच किये उन्हें प्रदूषण प्रमाण–पत्र हस्तगत कराया गया। इस बावत पूछे जाने पर केन्द्र के कर्मचारी द्वारा गलती स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की गई। वर्णित तथ्यों के आलोक में मोटरयान निरीक्षक, पटना द्वारा प्रदूषण जाँच केन्द्र की अनुज्ञप्ति संख्या–477 / 2018 को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–2816, दिनांक–23.04.2016 द्वारा श्री किशन कुमार, पिता–श्री अजीत कुमार सिंह, ऑटो केयर, बेली रोड, अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति सं0–477 / 2018 से निदेशित ऑनलाईन व्यवस्था को चालू करने में व्यवधान तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर पुनः विभागीय पत्रांक–3021, दिनांक–30.04.2019 द्वारा 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु स्मारित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारक ने दिनांक–30.04.2019 को समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि दिनांक–15.04.2019 को प्रदूषण जाँच केन्द्रों द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था में आनेवाली कठिनाईयों का जिक्र करते हुए त्वरित निष्पादन का अनुरोध किया गया था, किन्तु इस दिशा में दिनांक–27.04.2019 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी उल्लेख किया गया है कि संचालको द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि वैध एवं सुयोग्य मोटरयान निरीक्षक को ही ऑनलाईन करने हेतु प्रदूषण जाँच केन्द्रों पर भेजा जाय। इसके विपरीत श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, अनाधिकृत मोटरयान निरीक्षक केन्द्र पर सादे कपड़े में आए एवं उनके साथ दुर्व्यवहार किया एवं रिश्वत की माँग की, जिसके लिए उनके द्वारा श्री सिंह के विरूद्व रूपसपुर थाना में सनहा दर्ज कराया गया है। उन्होंने यह भी अंकित किया है कि भारत सरकार के निदेशानुसार दिनांक–01.04.2009 से ही ऑनलाईन व्यवस्था लागू किया जाना था जबकि राज्य सरकार द्वारा यह कार्य दिनांक–10.04.2019 से प्रारम्भ किया गया है।

संचालक से प्राप्त स्पष्टीकरण पर श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक से मंतव्य की मांग की गई। श्री सिंह के द्वारा समर्पित मंतव्य / स्पष्टीकरण में संचालक द्वारा उनके विरूद्व लगाए गए आरोप को निराधार बताया गया है। उन्होंने अंकित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–18.04.2019 को प्रश्नगत प्रदूषण जाँच केन्द्र का निरीक्षण दो वर्दीधारी आर्म्ड कांस्टेबल, श्री धर्मवीर कुमार (सिपाही सं0–120190) एवं श्री उमेश सिंह, सिपाही सं0–11513 के साथ की गयी। निरीक्षण के क्रम में संचालक द्वारा बिना वाहन की जाँच किए फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र निर्गत करने का तथ्य वहाँ उपस्थित वाहन स्वामी के माध्यम से संज्ञान में आया। फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर संचालक द्वारा उनके विरूद्व मिथ्या आरोप लगाया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्रों को ऑनलाईन किये जाने के क्रम में प्रथमतः पटना शहर में संचालित वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्रों को ऑनलाईन करने की कार्रवाई हेतु राज्य परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक–12.04.2018 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्रों के अनुज्ञप्तिधारी एवं अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना, मोटरयान निरीक्षक, पटना सम्मिलित हुए। इस बैठक में वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्रों के अनुज्ञप्तिधारियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे प्रदूषण केन्द्रों को ऑनलाईन किये जाने की कार्रवाई करेंगे। उपस्थित सभी जाँच केन्द्रों के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस कार्य में सहयोग देने की बात की स्वीकार की गई। पटना जिले के मोटरयान निरीक्षकों एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षकों को प्रदूषण जाँच केन्द्रों का भ्रमण कर उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराने का निदेश भी दिया गया।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक–2574, दिनांक–10.04.2019 द्वारा श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक, पटना को अनुज्ञप्ति सं0–477/2018 के धारक वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र को ऑनलाईन किये जाने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना का प्रतिवेदन, मोटरयान निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं केन्द्र संचालक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र के संचालक में नियमितता बरती गयी है। वाहन की जाँच किए बगैर प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना मोटरयान अधिनियम एवं बिहार मोटरगाड़ी नियमावली–1992 के नियम 163 (घ) (8) ग में उल्लेखित वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्रों को मोटरयान निरीक्षक या परिवहन विभाग के अभ्यतर पंक्ति के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए खुला रखने एवं केन्द्र द्वारा संधारित सभी उपकरण एवं अभिलेख निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने का प्रावधान है। संचालन द्वारा मोटरयान निरीक्षक को "अनाधिकृत" कहा जाना अशोभनीय है। साथ ही उन्हें निरीक्षण में सहयोग नहीं करना सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाना है।

अतः ऊपर वर्णित नियमों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 1992 के नियम 163 (च) 1 का (ग) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र अनुज्ञप्ति संख्या–477/2018 की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :–

ज्ञापांक :–

प्रतिलिपि :– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

3380

पटना, दिनांक :– 10/5/19

ज्ञापांक :–

प्रतिलिपि :– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5/19
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।